पर्चा डिक्री

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान**

**प्रकरण सं0 :187/2024**

**उनवान :**

सुभाष चन्द्र पुत्र मंगतु जाति जाट निवासी जाटान तहसील भादरा।

:- वादी

**बनाम**

1. मंगतु पुत्र टीकुराम जाति जाट निवासी जाटान तहसील भादरा।
2. रोहताश पुत्र मंगतु जाति जाट निवासी जाटान तहसील भादरा।
3. रोशनी पुत्री मंगतु पत्नी सतपाल जाति जाट निवासी जाटान हाल निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री मंगतू पत्नी चेतराम जाति जाट निवासी जाटान हाल पिचकराई तहसील नोहर।
5. जमनादेवी पत्नी मंगतू जाति जाट निवासी जाटान तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

**:- प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री अमित देहडु एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विक्रम स्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 101/99 के ख0सं0 171/1 की 3.1240 है0 बारानी, खसरा संख्या 171/5 की 0.8850 है0 बारानी, खसरा संख्या 203/2 की 5.7790 है0 बारानी, खसरा संख्या 336/2 की 0.8090 है0 बारानी, कुल खसरा 4 की 10.5970 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 मंगतू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 1 मंगतू अकेले की बजाय वादी सुभाष चन्द्र प्रतिवादी संख्या 1 मंगतू व प्रतिवादी संख्या 2 रोहताश को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि वादग्रस्त भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद करवाया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.12.20 10:47:13 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

# ायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान**

रण सं0 :187/2024

वान :

सुभाष चन्द्र पुत्र मंगतु जाति जाट निवासी जाटान तहसील भादरा।

:— वादी

## बनाम

1. मंगतु पुत्र टीकुराम जाति जाट निवासी जाटान तहसील भादरा।
2. रोहताश पुत्र मंगतु जाति जाट निवासी जाटान तहसील भादरा।
3. रोशनी पुत्री मंगतु पत्नी सतपाल जाति जाट निवासी जाटान हाल निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री मंगतू पत्नी चेतराम जाति जाट निवासी जाटान हाल पिचकराई तहसील नोहर।
5. जमनादेवी पत्नी मंगतू जाति जाट निवासी जाटान तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

**दावा बाबत : इस्तकरार हक**

**अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955**

**उपस्थिति :** वकील श्री अमित देहडु **: वादी**

वकील श्री विक्रम स्वामी **: प्रतिवादी सं0 1 ता 5**

**निर्णय** **दिनांक :** 28.11.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 101/99 के 0सं0 171/1 की 3.1240 है0 बारानी, खसरा संख्या 171/5 की 0.8850 है0 बारानी, खसरा ख्या 203/2 की 5.7790 है0 बारानी, खसरा संख्या 336/2 की 0.8090 है0 बारानी, कुल सरा 4 की 10.5970 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 मंगतू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने तिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त रवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 6 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। तिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः त्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में सुभाषचन्द्र पुत्र मंगतू जाति जाट निवासी जाटान तहसील भादरा के यान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम जाटान के खाता संख्या 101/99 म्वत 2073–76 प्रदर्श 1, जमाबंदी ग्राम जाटान खाता संख्या [illegible] 2029 से 2038 प्रदर्श , सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जाटान [illegible]

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी [illegible] के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं तिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस कार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.12.20 10:27:13 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

सुभाष चन्द्र बनाम मंगतू आदि

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर स्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम टान के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने तु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र दर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 101/99 के 0सं0 171/1 की 3.1240 है0 बारानी, खसरा संख्या 171/5 की 0.8850 है0 बारानी, खसरा ख्या 203/2 की 5.7790 है0 बारानी, खसरा संख्या 336/2 की 0.8090 है0 बारानी, कुल सरा 4 की 10.5970 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 मंगतू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 मंगतू अकेले की बजाय वादी सुभाष चन्द्र प्रतिवादी संख्या 1 मंगतू व तिवादी संख्या 2 रोहताश को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी ) 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य र लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर कृत किया जाता है।

**क्रियात्मक आदेश**

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा षणा की जाती है कि वाद भूमि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 101/99 के ख0सं0 1/1 की 3.1240 है0 बारानी, खसरा संख्या 171/5 की 0.8850 है0 बारानी, खसरा संख्या 3/2 की 5.7790 है0 बारानी, खसरा संख्या 336/2 की 0.8090 है0 बारानी, कुल खसरा 4 10.5970 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 मंगतू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से तेवादी सं0 1 मंगतू अकेले की बजाय वादी सुभाष चन्द्र प्रतिवादी संख्या 1 मंगतू व प्रतिवादी ख्या 2 रोहताश को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में मलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन ें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में नाया गया।

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.12.20 10:27:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner